राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज.जयपुर

क्रमांकः—नर्सिंग / नर्स—2(F) / स्था0 / कोर्ट केस / के—10 / 2018 / दिनांकः—

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक:अराज / सामान्य / 2018 / 851 दिनांक 07.09.2018 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के अधीन कार्यरत श्रीमती कमला चौधरी, नर्स—2 जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटवा (कुचामन सिटी) नागौर पर अधिशेष थी का नवीन पदस्थापन राजकीय चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर के रिक्त पद पर किया गया है जिससे व्यथित होकर उन्होने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17212 / 2018 दायर की। जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.11.2018 को आदेश पारित किया जिसका मुख्यांश निम्नानुसार हैः—

In the overall facts and circumstances of the case, wherein, the petitioner has been transferred on account of post being not available at primary Health Centre, Ghawta and the claim of the petitioner is that post of Nurse Gr.-II is available/has been created at primary Health Centre, Ghawta, the petitioner needs to make a detailed representation raising all the issues as has been raised in the present writ petition and the respondents are required to deal with the said representation appropriately and in case the submission made by the petitioner are found to be correct, the same clearly non-application of mind while passing order dated 07-09-2018.

With the above observation, the writ petition field by the petitioner is disposed of. If a detailed representation is field by the petitioner within a period of ten days, the same shall be dealt with appropriately by the respondents within a period of three weeks thereafter.

उक्त निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 22.11.2018 में उल्लेख किया है कि राज्य सरकार के पत्रांक पं.25(2)चि.स्वा / 2 / 2018दिनांक 29.05.2018 के द्वारा 2043 नर्स—2 के पदो का सर्जन किया गया है जिसमें एक पद पीएचसी, घाटवा (कुचामन सिटी) नागौर में भी स्वीकृत किया गया है अतः अधिशेष होने के कारण राजकीय चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर में किये गये स्थानान्तरण / पदस्थापन को निरस्त कर, पीएचसी, घाटवा (कुचामन सिटी) नागौर में ही नवसृजित रिक्त पद पर यथावत पदस्थापित करने हेतु निवेदन किया है।

मेरे द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2018, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 22.11.2018, जिले में रिक्त पदो की स्थिति एवं समस्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया। निदेशालय के आदेश क्रमांकः अराज / सामान्य / 2018 / 851 दिनांक 07.09.2018 के क्रम संख्या 3 पर वर्णित श्रीमती कमला चौधरी, नर्स—2 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटवा (कुचामन सिटी) नागौर से राजकीय चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर किये गये पदस्थापन / स्थानान्तरण को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटवा में नर्स—2 का एक पद नवसृजित होने के मध्यनजर निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुये कर्मचारी श्रीमती कमला चौधरी, नर्स—2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटवा (कुचामन सिटी) नागौर में यथावत पदस्थापित रहेगी।

sd/-
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः—नर्सिंग / नर्स—2(F) / स्था0 / कोर्ट केस / के—10 / 2018 / 1766 दिनांकः—31-12-2018

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. उप विधी परामर्शी , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घाटवा (कुचामनसिटी) नागौर
6. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. आदेश / निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर